बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

(सूचना का अधिकार)

पत्र सं.- 31/सू.अ.(वार्षिक प्रतिवेदन)-04/2025

प्रेषक,

श्री बलिराम प्रसाद,
उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)-सह-
प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
जल संसाधन विभाग, बिहार।

दिनांक-

विषय :- **बिहार सूचना आयोग, बिहार, पटना के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से प्राप्त अनुशंसाओं के संबंध में।**

प्रसंग :- **बिहार सूचना आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक- 872, दिनांक- 09.09.2025.**

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बिहार सूचना आयोग का वर्ष-2018-2019 एवं वर्ष-2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अध्याय-4 में कतिपय अनुशंसाएँ अंकित है।

उक्त अनुशंसाओं की छाया प्रति आवश्यक कार्यार्थ संलग्न की जा रही है।

अनु.-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(बलिराम प्रसाद)
उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 873 (अ0उ0) / पटना, दिनांक- 23-09-2025

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, WRD सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित करने हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

23/9/2025

(बलिराम प्रसाद)
उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना।

बिहार सूचना आयोग
सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना।
दूरभाष–2215713, 2235059, फैक्स–2235466

पत्रांक 1/वि0–01/2020/872 (बि0सू0आ0)/पटना, दिनांक–09/09/2025

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार।
पुलिस महानिदेशक, बिहार।
सभी प्रधान सचिव/सचिव।
प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय।
सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय।
सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय।
महानिदेशक, बिपार्ड।
महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय।

विषयः– बिहार सूचना आयोग का वर्ष 2018–2019 एवं वर्ष 2019–2020 का वार्षिक प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार, बिहार सूचना आयोग का वर्ष 2018–2019 एवं वर्ष 2019–2020 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न है। आपके सुझावों का स्वागत है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

(डॉ0 संजय कुमार)
उप सचिव

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
गै0स0प्रे0सं0 7665/अ
दिनांक 18/09/25

अपर सचिव, कोषांग
डायरी सं0 505
दिनांक 19/09/25
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना

उप सचिव
मुख्यालय (स्थापना)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
डायरी संख्या 1893
दिनांक 19/09/25

Varun-Letter 24-25

अध्याय–4

अनुशंसाएँ

1. वरीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के समय अधिनियम के तहत प्राप्त सूचनावेदनों/प्रथम अपील आवेदनों के निष्पादन के संबंध में विशिष्ट अभियुक्ति अंकित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के तहत स्व–प्रेरणा से अधिकतम सूचनाओं को सार्वजनिक करने की व्यवस्था को और सुदृढ किया जाए।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने दायित्वों में उचित निर्वहन के लिए प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों के स्तर पर ज्यादा संवेदनशीलता और सक्रियता (pro-active) से कार्रवाई अपेक्षित है।

4. आयोग यह भी महसूस करता है कि पंचायत सचिवों के पास सूचना का अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिकता व्यय मद में निधि की व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि वे माँगी गई सूचनाएँ उपलब्ध कराने में वित्तीय कठिनाई नहीं महसूस करें। यहाँ यह भी उल्लेखनीय होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दायर आवेदनों के साथ प्राप्त होने वाला शुल्क या माँगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए दिया गया अतिरिक्त शुल्क राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा करा दिया जाता है और इस राशि का उपयोग सूचना उपलब्ध कराने के लिए संबंधित राज्य लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा व्यय मद में नहीं किया जा सकता है।

5. लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों के दक्षता संवर्द्धन एवं विकास के लिए जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर पर समय–समय पर रिफ्रेशर कोर्स/ओरियेन्टेशन कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में संस्थागत व्यवस्था की जाए। इस संदर्भ में आयोग का मत है कि राज्य सरकार एवं बिपार्ड द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण/ओरियेन्टेशन कार्यक्रमों का लाभ अभी तक मध्य स्तर के पदाधिकारियों तक ही पहुँचा है और निचले स्तर के पदाधिकारियों एवं राज्य लोक सूचना पदाधिकारियों तक इसका पर्याप्त लाभ नहीं पहुँचा है (यथा–पंचायत सचिव, प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षी पदाधिकारी) जिससे उनके समक्ष दायर मामलों का, जहाँ पंचायत सचिव अथवा प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षी पदाधिकारी राज्य लोक सूचना पदाधिकारी होते हैं, सम्यक् निष्पादन नहीं हो पाता है।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के तत्वाधान एवं बिपार्ड के पर्यवेक्षण में सभी लोक प्राधिकारों, राज्य लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की एक विस्तृत निर्देशिका (directory) छह माह के अन्दर तैयार की जाए, इसे समान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर संधारित किया जाए और इसे निर्धारित समयान्तराल (तीन माह से अनधिक) पर अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इससे आयोग में दायर द्वितीय अपील/शिकायत आवेदनों की सुनवाई के क्रम में आवश्यकतानुसार संबंधित राज्य लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय पदाधिकारी की ठीक–ठीक पहचान करने में आयोग को भी मदद मिलेगी एवं आयोग में निबंधित मामलों की सुनवाई में और गति आएगी।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को नोडल विभाग द्वारा राज्य लोक सूचना पदाधिकारियों/प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों के मध्य परिचारित करने की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें मामलों के निष्पादन में सुविधा हो।

8. आयोग द्वारा विगत वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के संबंध में नोडल विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन (ATR) उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।